

3. गैस कनेक्शन, आय व दैक्षिक खाते से सम्बन्धित मूल्यान

गैस कनेक्शन टिक करें)	गैस रजेन्सी कम्पनी (टिक करें)	गैस कनेक्शन उपभोक्ता क्रमांक:
<input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> सिंगल <input type="checkbox"/> डबल <input type="checkbox"/> इंडोनी	<input type="checkbox"/> Bharat Gas <input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>	
वार्षिक आय (पैसे परिवर्त की): _____ (रुपये) आपका दाता * हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>		पैस कार्ड सं केष्टता सं:
दैक्ष:	शाया:	

उपरोक्त विन्दु संख्या 1 से 3 में) दी गई जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है

संतानक- (अधिकारी 3)

2. 3.

4. आवास की मूल्यान में किरायेदार की स्थिति में मकान नालिक की सत्यापन रिपोर्ट -

यह मकान लिवेंस शी / दुम्ही / श्रीनानी पुरु / पुर्णी शी परिवर्त लालौत करते हैं। वह नियम लालौत है।

5. प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि शी / दुम्ही / श्रीनानी पुरु / पुर्णी शी नियान कार्ड बनवाने का जो प्रार्थना पत्र दिया है, इसमें जो विवरण दिये हैं ऐसी जानकारी व विवास से जुड़ी है। इनकी प्रार्थना करते थे। इनकी प्रार्थना स्थिकार करते थे।
पिंडस्स लोकसभा / राज्यसभा / विधान सभा / विधान परिषद्-निगम / परायत : तामिळनाडु / सरपथ / वार्ड पार्षद / वर्चारी / ग्राम सेवक, राज परिवार अधिकारी व केवल जड़ुत्तु नियम देखने से बहरत / पोस्ट / डिवीजन गार्डन नामांकित युवता सेवा।

कार्यालय उपयोग के लिए		
चैक लिस्ट	फोटो पासपोर्ट लाइसेंस तत्वाधिकारी व विपक्षीय हुआ आय संकारी जानकारी	नियास वारत प्रमाण पूर्ण पत्र अवेदन पत्र ** अधिकारी सभी कालान्तर पूर्ण रूप से भरे हुए
		मकान नालिक के हस्ताक्षर पद, भावर व दिनांक

उपरोक्त तथ्यों की जांच मोक्षे पर मेरे द्वारा कर ली गयी है। प्रार्थना पत्र लिखारी/अधिकारी कर राशन कार्ड जारी / जारी नहीं करता दर्जन होता। आधार नियम है -

6. सत्यापन रिपोर्ट

हस्ताक्षर

- अवेदक हाल प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेज / जांच निरीक के क्रम में नवीन सामान्य (एफीएल) श्रेणी राशन कार्ड जारी करें।
- जांच अधिकारी के सत्यापन / कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र निरक्षित किया जाता है। अवेदक को रघुनित करें।

अवधिकारी उपरोक्त मूल्य की उम्मीद का क्रांति, नाम व पता-

7. आदेश

पद, भावर व दिनांक
हस्ताक्षर सभान अधिकारी
पद, भावर व दिनांक